

र
रीड

10.4.23

पत्रावली पत्र हुई। व कुलाम पक्षकार उपस्थित।

मूलकाड पार्थन पत्र 07R॥ स्वीकार होकर खारिज हो

जाने से हस्तगत पार्थन पत्र में अब कोई कार्यवाही शेष
नहीं रहती है। मूलकाड खारिज होने से पार्थन पत्र खारिज

अभिया जाता है। निर्णय सरे उजलाल लुनाया भया।

प्रकरण फल 25माह होकर नम्बर से कम है।

रुम

उपलक्षणी अधिकारी
गिरा, जयपुर